


समक्ष:- न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमांक :

प्रस्तुति दिनांक : 19.10.2015

श्री राजनी वसिष्ठ 2550
आज दि 26/10/15 को
प्रस्तुत



क्रमांक / 3486-II-15

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सरवेन्द्र राय उम्र करीब 52 वर्ष पिता स्व. शंकरलाल राय

निवासी चण्डी जी वार्ड हटा जिला-दमोह (म.प्र.)निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959, निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील हटा जि. दमोह, म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 69 अ/68, वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।

मान्यवर्

निगरानीकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 21.11.1995 को एक रजिस्टर्ड बैनामा के जरिए विक्रेता गीताबाई पति मोहनलाल नामदेव झाकिन सुभाष वार्ड हटा जि. दमोह म.प्र. से, आबादी व नगरपालिका क्षेत्र में स्थित चण्डी जी वार्ड में स्थित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3486— दो/15

जिला —दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
4-5-16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 69/अ-68/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 5.10.15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता को सुना गया एवं उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 21.11.95 को एक रजिस्टर्ड बैनामा के जरिये चंडी जी वार्ड हटा में स्थित करीब 30 वर्ष पुराना मिट्टी पत्थर से बना कच्चा खपरैल मकान व खाली जगह गीता बाई पति मोहनलाल नामदेव से खरीदा था जिसे गीताबाई ने नत्थू पिता खुमान कुम्हार निवासी हटा से रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा खरीदा गया था। इसके बाद आवेदक ने उक्त भूमि पर नगर पालिका हटा से भवन निर्माण की स्वीकृति लेकर अपना मकान बनवाया था और तभी से उस पर निवास करता चला आ रहा है एवं उसके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है।</p> <p>3- प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक का मकान आबादी की भूमि पर बना हुआ है, आबादी की भूमि का विस्तृत नक्शा उपलब्ध नहीं है और न ही हटा का सर्वे हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में आबादी में जिन लोगों के मकान पूर्व में ही</p>	





//3// निग0 प्र0क0 3486-दो/15

बने थे। उन लोगों को ही उनकी भूमि का भूमिस्वामी माना जाना न्याय संगत है जबकि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 162/1 क रकवा 1.295 है0 भूमि मुकदमा नम्बर 15/अ-65/1964-65 में कलेक्टर द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 13.1.66 के अनुसार घास से आबादी घोषित की जा चुकी है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 248 की प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों नक्शा, फील्ड बुक, पंचनामा आदि का भी विधि के अनुसार पालन नहीं किया गया है जबकि बेजा कब्जा सिद्ध करने की जिम्मेदारी शासन की है।

4- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह भी कहा गया है कि खसरा नम्बर 162/1 क के चारों ओर घनी बस्ती है व मकान आदि बने हुये है जिसमें आज तक उक्त भूमि का वैधानिक सीमांकन ही नहीं हो पाया है एवं धारा 248 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधान आवादी भूमि पर लागू नहीं होते हैं एवं धारा 248 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधान आवादी भूमि पर लागू नहीं होते हैं जबकि उस पर कोई इमारती संपत्ति खड़ी है।

5- अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर व आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुये यह निगरानी स्वीकार की जाती है और तहसीलदार हटा का आदेश दिनांक 5.10.15 निरस्त किया जाता है।


सदस्य

